

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 33 ]  
No. 33 ]

दिल्ली, अगस्त 26—सितम्बर 1, 2011, बृहस्पतिवार/भाद्र 4—भाद्र 10, 1933  
DELHI, AUGUST 26—SEPTEMBER 1, 2011, THURSDAY/BHADRA 4—BHADRA 10, 1933

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 135  
[ N.C.T.D. No. 135

भाग—IV  
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण  
आदेश

दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

फा. सं. 10(2056)/मु.स. (मुख्या)/स.शु.16106.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोजर बेयर पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि., 616-ए, (16ए, छठी मंजिल), देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 97,31,00,000 मूल्य के ऑप्शनली कनवर्टीबल डिबेन्चर्स जिनकी पृथक संख्या OCD 5269001 से OCD 7500000 और OCD- B1 से OCD- B 7500000 है और जिसकी सीरीज ए और बी है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 24,32,750 (रुपये चौबीस लाख बत्तीस हजार सात सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

3330 DG/2011

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING  
REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 23rd August, 2011

F. No. 10(2056)/COS (HQ)/Cons. Duty 16106.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Moser Baer Power and Infrastructures Ltd., 616-A, (16A, Sixth Floor), Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 24,32,750 (Rupees twenty four lakh thirty two thousand seven hundred fifty) only on the aggregate value of debentures of ₹ 97,31,00,000 for issue of Optionally Convertible Debentures (Series A & B) bearing distinctive No. OCD 5269001 to OCD 7500000 and OCD- B1 to OCD B 7500000 to be issued by the said company.

(207)

**फा. सं. 10(2047)/मु.स. (मुख्या)/स.शु.16107.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फाइनेंसियल आईज (इण्डिया) लि., एफ-58/1, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 17,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3000071 से 6500070 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,75,000 (रुपये एक लाख पच्चहत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(2047)/COS (HQ)/Cons. Duty 16107.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008; the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Financial Eyes (India) Ltd., F-58/1, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,75,000 (Rupees one lakh seventy five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 17,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 3000071 to 6500070 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2046)/मु.स. (मुख्या)/स.शु.16108.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फाइनेंसियल आईज (इण्डिया) लि., एफ-58/1, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 8,49,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6500071 से 8198070 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 84,900 (रुपये चौरासी हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(2046)/COS (HQ)/Cons. Duty 16108.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Financial Eyes (India) Ltd., F-58/1, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 84,900 (Rupees eighty four thousand nine hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 8,49,00,000 for

equity shares certificates with distinctive Nos. 6500071 to 8198070 to be issued by the said company.

दिल्ली, 24 अगस्त, 2011

**फा. सं. 10(2053)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./16283.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आरएफसीएल लि., ए-3, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 80,00,00,000 मूल्य के फुल्ली कम्पल्सरी कनवर्टीबल डिबेन्चर्स है जिनकी पृथक संख्या 1 से 8000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,00,000 (रुपये बीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 24th August, 2011

**F. No. 10(2053)/COS (HQ)/Cons. Duty/16283.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s RFCL Ltd., A-3, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,00,000 (Rupees twenty lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 80,00,00,000 for issue of Fully Compulsory Convertible Debentures bearing distinctive No. 1 to 8000000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 25 अगस्त, 2011

**फा. सं. 10(2058)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./16325.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेकिसुइ केमिकल इण्डिया प्रा.लि., 203, डी-4, डिस्ट्रीक सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4000001 से 8000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 40,000 (रुपये चालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 25th August, 2011

**F. No. 10(2058)/COS (HQ)/Cons. Duty 16325.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Sekisui

Chemical India Pvt. Ltd., 203, D-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 40,000 (Rupees forty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 4000001 to 8000000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2057)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16326.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कणीका इण्डिया प्रा. लि., एफ-16, रास विलास, डी-1, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 6,40,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 17501 से 81500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 64,000 (रुपये चौंसठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(2057)/COS (HQ)/Cons. Duty/16326.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Kaneka India Pvt. Ltd., F-16, Ras Vilas, D-1, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 64,000 (Rupees sixty four thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 6,40,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 17501 to 81500 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2062)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16327.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आइडिलिक बिल्डटेक प्रा. लि., ए-6, चिराग एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(2062)/COS (HQ)/Cons. Duty/16327.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E),

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Idyllic Buildtech Pvt. Ltd., A-6, Chirag Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100/- (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000/- for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2074)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16328.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इटर्नल पावर गुजरात प्रा. लि., 4812/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(2074)/COS (HQ)/Cons. Duty 16328.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Eternal Power Gujarat Pvt. Ltd., 4812/24, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 00001 to 10000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2065)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16329.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसएफ इनसिगनिया एसइजेड-I प्रा. लि., 11, बाबर लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(2065)/COS (HQ)/Cons. Duty 16329.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E),

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s ASF Insignia SEZ-I Pvt. Ltd., 11, Babar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2071)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./16330.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डिजिटल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा. लि., 15-एफ, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 13,80,00,649 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी-61819 से पी-123636 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,38,001 (रुपये एक लाख अड़तीस हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(2071)/COS (HQ)/Cons. Duty 16330.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Digital Management Services Pvt. Ltd., 15-F, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,38,001 (Rupees one lakh thirty eight thousand one) only on the aggregate value of shares of ₹ 13,80,00,649 for preference shares certificates with distinctive Nos. P-61819 to P-123636 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2063)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./16331.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इस्ल-डे-रॉयल रेसिडेन्सेज प्रा. लि., ए-6, चिराग एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,00 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(2063)/COS (HQ)/Cons. Duty/16331.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Isle-De-Royale Residences Pvt. Ltd., A-6, Chirag Enclave, Greater Kailash, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 100,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2077)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./16332.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इटर्नल पावर राजस्थान प्रा. लि., 4812/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(2077)/COS (HQ)/Cons. Duty/16332.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Eternal Power Rajasthan Pvt. Ltd., 4812/24, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00/- (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000/- for equity shares certificates with distinctive Nos. 00001 to 100000 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2066)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./16333.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसएफ इनसिगनिया एसइजेड-III प्रा. लि., 11, बाबर लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(2066)/COS (HQ)/Cons. Duty/16333.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s ASF Insignia SEZ III Pvt. Ltd., 11, Babar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2061)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16334.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आइडिलिक बिल्डकॉन प्रा. लि., ए-6, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2061)/COS (HQ)/Cons. Duty/16334.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Idyllic Buildcon Pvt. Ltd., A-6, Chirag Enclave, Greater Kailash, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2060)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16335.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसएसएफ इनसिगनिया एसइजेड-2 प्रा.लि., 11 बाबर लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2060)/COS (HQ)/Cons. Duty 16335.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s ASF Insignia SEZ II Pvt. Ltd., 11, Babar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2064)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16336.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आइडिलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ए-6, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2064)/COS (HQ)/Cons. Duty/16336.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Idyllic Infrastructure Pvt. Ltd., A-6, Chirag Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2059)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16337.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आइडिलिक बिल्डवेल प्रा.लि., ए-6, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2059)/COS (HQ)/Cons. Duty/16337.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Idyllic Buildwell Pvt. Ltd., A-6, Chirag Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2067)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16338.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसएसएफ इनसिगनिया कमर्शियल रियल्टी प्रा.लि., 11, बाबर लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F.No. 10(2067)/COS (HQ)/Cons. Duty/16338.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s ASF Insignia Commercial Realty Pvt. Ltd., 11, Babar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2051)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16339.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एजेन्टेक (इण्डिया) प्रा.लि., 216-बी/6, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 52,32,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1893977 से 1920139 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,233 (रुपये पांच हजार दो सौ तैंतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F.No. 10(2051)/COS (HQ)/Cons. Duty/16339.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Ezentech (India) Pvt. Ltd., 216-B/6, Gautam Nagar, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,233 (Rupees five thousand two hundred thirty three) only on the aggregate value of shares of ₹ 52,32,600 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1893977 to 1920139 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2045)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16340.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गेटवे रेल फ्राइट लि., 206-207, साउथर्न पार्क, साकेत डिस्ट्रीक सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,15,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 115000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 11,50,000 (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F.No. 10(2045)/COS (HQ)/Cons. Duty/16340.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Gateway Rail Freight Ltd., 206-207, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 11,50,000 (Rupees eleven lakh fifty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,15,00,00,000- for preference shares certificates with distinctive Nos. 1 to 115000000 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10 (2015)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16341.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जेबीएम आंगिहारा ऑटोमोटिव इण्डिया लि., 610, हेमकुन्त चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,40,00,040 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 17599997 से 22000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 44,001 (रुपये चव्वालीस हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F.No. 10(2015)/COS (HQ)/Cons. Duty/16341.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s JBM Ogihara Automotive India Ltd., 610, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 44,001 (Rupees forty four thousand one) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,40,00,040 for equity shares certificates with distinctive Nos. 17599997 to 22000000 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2052)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16342.**—  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टेरेक्स इक्विपमेन्ट प्रा.लि., 108-110, प्रथम तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 44,53,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 47710231 से 92240230 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,45,300 (रुपये चार लाख पैंतालीस हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(2052)/COS (HQ)/Cons. Duty/16342.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Terex Equipment Pvt. Ltd., 108-110, First Floor, Narain Manzil, 23, Barakhama Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,45,300 (Rupees four lakh forty five thousand three hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 44,53,00,000 for equity shares certificates with distinctive

Nos. 47710231 to 92240230 to be issued by the said company.

**फा. सं. 10(2049)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16343.**—  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24, जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एजेन्टेक (इण्डिया) प्रा. लि., 216-बी/6, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,77,48,800 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1920140 से 2308883 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 77,749 (रुपये सतत्तर हजार सात सौ उन्नचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के  
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,  
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

**F. No. 10(2049)/COS (HQ)/Cons. Duty/16343.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Ezentech (India) Pvt. Ltd., 216-B/6, Gautam Nagar, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 77,749 (Rupees seventy seven thousand seven hundred forty nine only) on the aggregate value of shares of ₹ 7,77,48,800 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1920140 to 2308883 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority  
Govt. of National Capital Territory of Delhi,  
R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)